

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुबोध सिंह चारण, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—82/2022 (2022/294) वादपत्र

उनवान

1. डालुराम पिता भागीरथ बलाई निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. गोपी पिता बरदा बलाई निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. छितर पिता छोगा कुमावत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. जुमा पिता भूरा बलाई निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. नारायण पिता गैना बलाई निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. पप्पु कंवर पुत्री बाघ सिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. पुष्पाकंवर पुत्री बाघ सिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. पारसकंवर पत्नि रतनसिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. बरदी पत्नि बरदा बलाई निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. भंवरसिंह पिता रतनसिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. मूलसिंह पिता बाघसिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. मोटा पिता भूरा बलाई निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. मोहन पिता बरदा बलाई निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. राजुसिंह पिता रतनसिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. लाडकंवर पुत्री बाघसिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. शंकरसिंह पिता रतनसिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. शानुदेवी पत्नि सुरेशचन्द्र कुमावत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन रंगरेज —

अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक 20.12.2023

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 14.06.2023 के द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम पीथलपुरा पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी कृषि आराजियात खाता संख्या 130 में अंकित आराजी संख्या 104 रकबा 1.27 है० भूमि में वादी का 1/16 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।



तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 27.09.2023 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादीगण अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादीगण अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पीथलपुरा पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में खाता संख्या 130 में प्रस्तावित आराजी संख्या 104/3 रकबा 0.0300 है, आराजी संख्या 104/1 रकबा 0.0493 है कुल किता 2 कुल रकबा 0.0793 है भूमि डालुराम पुत्र भागीरथ बलाई सा. बागोलिया खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 104/2 रकबा 1.1907 है भूमि गोपी पुत्र बरदा हि 1/45 बलाई, छितर पुत्र छोगा हि 299/5157 कुमावत, जगदीश पुत्र मथरालाल हि 7/60 कुमावत, जुमा पुत्र भुरा हि 1/30 बलाई, नन्दा पुत्र पेमा हि 4/15 बलाई, नारायण पुत्र गेना हि 1/15 बलाई, पप्पुकंवर पुत्री बाघसिंह हि 1/45 राजपूत, पुष्पाकंवर पुत्री बाघसिंह हि 1/45 राजपूत, पारसकंवर पत्नि रतनसिंह हि 7/180 राजपूत, बरदी पत्नि बरदा हि 1/45 बलाई, भंवरसिंह पुत्र रतनसिंह हि 7/180 राजपूत, मूलसिंह पुत्र बाघसिंह हि 7/162 राजपूत, मोटा पुत्र भुरा हि 1/30 बलाई, मोहन पुत्र बरदा हि 1/45 बलाई, राजुसिंह पुत्र रतनसिंह हि 7/180 राजपूत, लाडकंवर पत्नी बाघसिंह हि 1/45 राजपूत, शंकरसिंह पुत्र रतनसिंह हि 7/180 राजपूत, शम्भुसिंह पुत्र बाघसिंह हि 7/180 राजपूत, शानुदेवी पुत्र सुरेशचन्द्र हि 8411/154710 कुमावत सा. देह खातेदार के नाम रखते हुए राजस्व रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुबोध सिंह चारण)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला, भीलवाड़ा
रायपुर

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुबोध सिंह चारण, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—82/2022 (2022/294) वादपत्र

उनवान

1. डालुराम पिता भागीरथ बलाई निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. गोपी पिता बरदा बलाई निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. छितर पिता छोगा कुमावत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. जुमा पिता भूरा बलाई निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. नारायण पिता गैना बलाई निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. पप्पु कंवर पुत्री बाघ सिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. पुष्पाकंवर पुत्री बाघ सिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. पारसकंवर पत्नि रतनसिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. बरदी पत्नि बरदा बलाई निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. भंवरसिंह पिता रतनसिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. मूलसिंह पिता बाघसिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. मोटा पिता भूरा बलाई निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. मोहन पिता बरदा बलाई निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. राजुसिंह पिता रतनसिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. लाडकंवर पुत्री बाघसिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. शंकरसिंह पिता रतनसिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. शानुदेवी पत्नि सुरेशचन्द्र कुमावत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्तु इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पीथलपुरा पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 130 में प्रस्तावित आराजी संख्या 104/3 रकबा 0.0300 है0, आराजी संख्या 104/1 रकबा 0.0493 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0793 है0 भूमि डालुराम पुत्र भागीरथ बलाई सा. बागोलिया खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 104/2 रकबा 1.1907 है0 भूमि गोपी पुत्र बरदा हि0 1/45 बलाई, छितर पुत्र छोगा हि0 299/5157 कुमावत, जगदीश पुत्र मथरालाल हि0 7/60 कुमावत, जुमा पुत्र भूरा हि0 1/30 बलाई, नन्दा पुत्र पेमा हि0 4/15 बलाई, नारायण पुत्र गैना हि0 1/15 बलाई, पप्पुकंवर पुत्री बाघसिंह हि0 1/45 राजपूत, पुष्पाकंवर पुत्री बाघसिंह हि0 1/45 राजपूत, पारसकंवर पत्नि रतनसिंह हि0 7/180 राजपूत, बरदी पत्नि बरदा हि0 1/45 बलाई, भंवरसिंह पुत्र रतनसिंह हि0 7/180 राजपूत, मूलसिंह पुत्र बाघसिंह हि0 7/162 राजपूत, मोटा पुत्र भूरा हि0 1/30 बलाई, मोहन पुत्र बरदा हि0 1/45 बलाई, राजुसिंह पुत्र रतनसिंह हि0 7/180 राजपूत, लाडकंवर पुत्री बाघसिंह हि0 1/45 राजपूत, शंकरसिंह पुत्र रतनसिंह हि0 7/180 राजपूत, शम्भुसिंह पुत्र बाघसिंह हि0 7/180 राजपूत, शानुदेवी पुत्र सुरेशचन्द्र हि0 8411/154710 कुमावत सा. देह खातेदार के नाम रखते हुए राजस्व रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 20.12.2023 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की



(सुबोध सिंह चारण)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, भीलवाड़ा